(394)

न्यायालयश्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरणक्रमांक- /14 पुनरीक्षण निग-500-I-14

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा
आयु- 48 साल जाति ब्राम्हण निवासीग्राम
झुण्डपुरा तहसील सबलगढ जिलामुरैनाम0प्र0
------आवेदक

बनाम

जगदीश शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा आयु- 55 साल जाति
ब्राम्हण निवासीग्राम झुण्डपुरा तहसील सबलगढ
जिलामुरैनाम0प्र0 ----------अनावेदक

न्यायालयश्रीमान नायब तहसीलदार सबलगढ द्वारा प्रकरणक्रमांक- 01/13-14 अ.13में पारित आदेश दिनांक- 23.1.14 के विरूद्व पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 ~~1959~~ 1959

मान्यवर महोदय,

सेवामें प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से पुनरीक्षण अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1:- यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक- 1976 रकवा 3 बिस्वा भूमि ग्राम झुण्डपुरा परगना सबलगढ जिला मुरैना म0प्र 0 में स्थित है उक्तभूमि सर्वे क्रमांक- 1976 रकवा - 3 बिस्वा भूमिमें 5/2का सह स्वामी एवं आधिपत्यधारी है प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त प्लोट के आगे की वसीयत की जगह है प्रार्थी के प्लोट की चारों तरफ से बांउण्डरी वाल हो रहीं है उक्त प्लोट में पक्की पाटोर बनी हुई है एवं दरवाजे पर एकलोहे का गेट लगा हुआ है जिससे प्रार्थी आता जाताहै प्रार्थी के प्लोट में गेट के पास टीन सेड बना हुआहै जिसमें प्रार्थी निवास करताहै प्रार्थी की बांउडरीवाल की ऊचांई 6 फुट है प्रार्थी के प्लोट की चतुर सीमायें इस प्रकार है कि -

क्रमशः- 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-500-एक/14 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	